O/C

हिन्दुस्तानकॉपरलिमिटेड
(भारत सरकारका एक उपक्रम)
इन्डियनकॉपरकॉम्प्लेक्स
पो. ऑ. मऊभंडार- ८३२१०३
जिला-पूर्वीसिहभूम (झारखण्ड)

CIN : L27201WB1967GOI028825

HINDUSTAN COPPER LIMITED
(A Govt. of India Enterprise)
INDIAN COPPER COMPLEX
P.O. MOUBHANDAR - 832103
Dist. East Singhbhum (Jharkhand)
Ph : (06585) 225878 (Unit Head)
e-mail: shyam_ss@hindustancopper.com
Website : www.hindustancopper.com

Ref. No: HCL/ICC/GM/FC/Surda/2023

Date: 12.08.2023

To
The Divisional Forest Officer
Jamshedpur

Sub: Diversion of remaining 65.52 ha forest land for Underground mining purpose within Surda Mining Lease in favour of M/s Hindustan Copper Limited in district East Singhbhum, Jharkhand.

Ref: Query on proposal no. FP/JH/MIN/44787/2020 raised through PARIVESH portal on 14.06.2023 (**Annexure-1**)

Madam,

In connection with the query under reference on above subject proposal the submission of Hindustan Copper Limited is as follows:

Query	Directive	Submission of HCL
NoC under FRA 2006 issued by concerned DC (alongwith copy of the proceedings of the meeting in this regard)	To submit the NoC under FRA 2006 issued by concerned DC regarding diversion of proposed forest land and copy of proceedings of Gramsabha	Forest, Environment and Climate Change department of Govt. of Jharkhand vide letter no. 3065, dtd. 08.08.2023 has decided that under Forest Conservation Act, 1980 NoC under FRA is required to be ensured after Stage-I approval but before recommendation of Stage-II approval. Copy of the said letter is enclosed as **Annexure-2** as ready reference.

In view of submission of HCL, it is requested to further recommend the proposal for diversion of remaining 65.52 ha forest land for Underground mining purpose within Surda Mining Lease in favour of M/s Hindustan Copper Limited in district East Singhbhum, Jharkhand.

Thanking you,

Yours faithfully,

(S S Sethi)
GM & Unit Head
Indian Copper Complex
Ghatsila

एस० एस० सेठी
महाप्रबन्धक
एवं
इकाई प्रमुख
हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उपक्रम)
इन्डियन कॉपर कॉम्प्लेक्स
डाक-मऊभण्डार-832103
झारखण्ड

Annexure -1

कार्यालयः वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर।

(सी० एच० एरिया रोड नं० 1, जमशेदपुर–831001)
दूरभाष संख्या– 0657–2231017, फैक्स–0657–2231017, ई–मेल– dfo-jamshedpur@gov.in

पत्रांकः 1181 /जमशेदपुर   दिनांकः 01-06-2023

प्रेषक,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
जमशेदपुर वन प्रमंडल,
जमशेदपुर।

सेवा में,

कार्यकारी निदेशक एवं यूनिट हेड,
हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड,
मउभण्डार, घाटशिला।

विषयः– मेसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड का सुरदा खनन् पट्टा क्षेत्र अन्तर्गत भूमिगत खनन् हेतु अतिरिक्त (Remaining) 65.52 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंगः– 1. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक 15/2023–1813 दिनांक 19.05.2023
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का ज्ञापांक 554 दिनांक 24.05.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना के विरुद्ध वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा प्रस्ताव से संबंधित अभिलेख/मंतव्य/प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निर्देश दिया गया है, जो निम्नवत् है :–

विसंगति	अनुपालन
II. प्रस्तावित वनभूमि के संबंध में संबंधित उपायुक्त द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत् निर्गत प्रमाण–पत्र (इस क्रम में हुई बैठकों की कार्यवाही के साथ)।	प्रस्तावित वनभूमि के संबंध में संबंधित उपायुक्त द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत् निर्गत प्रमाण–पत्र एवं ग्राम सभा की कार्रवाई की प्रति समर्पित किया जाय।

अतः अनुरोध है कि उक्त बिन्दु पर अनुपालन प्रतिवेदन अभिलेख के साथ यथाशीघ्र इस कार्यालय में समर्पित करें ताकि इस संबंध में आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

आपका विश्वासी
(हस्ताक्षर) 1/06/2023
वन प्रमंडल पदाधिकारी
जमशेदपुर वन प्रमंडल
जमशेदपुर।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या–वनभूमि (विविध)–02/2022– 3065 व0प0, राँची, दिनांक– 08-08-2023

प्रेषक,

जलज कुमार,
उप परामर्शी।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषय :– वनभूमि अपयोजन प्रस्तावों में प्रयोक्ता अभिकरण से FRA, 2006 के तहत् प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के संबंध में।

प्रसंग :– 1. विभागीय पत्रांक–वनभूमि–10/2021–3018 दिनांक–22.10.2021
2. विभागीय आदेश–वनभूमि (विविध)–05/2022–3735 दिनांक–15.12.2022

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक–वनभूमि–10/2021–3018 दिनांक–22.10.2021 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम के तहत समर्पित प्रस्तावों में स्टेज–I के शर्तों के अनुपालन के संबंध में FRA, 2006 के तहत् कार्रवाई पूर्ण करने एवं तत्संबंधी BCCL की कुईया कोलियरी हेतु 16.49 हे0 वनभूमि प्रमाण–पत्र की मांग करने के सबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था।

अपयोजन प्रस्ताव से संबंधित संचिका में प्राप्त आदेश के अनुरूप FRA प्रमाण–पत्र के बिन्दु पर विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता का मंतव्य प्राप्त की गई।

विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श निम्नवत् उद्धृत है:–

"From the above documents, it is evident that compliance of FRA, 2006 is not mandatory for sending proposal for approval of Stage-I clearance in Kuiya Colliery. However, same is required to be complied with eventually."

इस बीच FC Rules 2022 के आलोक में PSC के गठन संबंधी प्रस्ताव से संबंधी संचिका में प्राप्त आदेश के आलोक में विभागीय पत्रांक–3735 दिनांक–15.12.2022 द्वारा पूर्व की भाँति Stage-I/II Clearance के पूर्व FRA का अनुपालन एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करना सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया।

विद्वान महाधिवक्ता के मंतव्य के आलोक में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि *वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् सभी प्रस्तावों में स्टेज–I की स्वीकृति के उपरांत परन्तु स्टेज–II का प्रस्ताव भेजने के पूर्व FRA प्रमाण–पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाय।*

अनुरोध है कि उक्त के आलोक में वनभूमि अपयोजन से संबंधित सभी प्रस्तावों पर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
(हस्ताक्षर) 8/8/2023
(जलज कुमार)
उप परामर्शी।

ज्ञापांक–वन भूमि(विविध)–02/2022– 3065 व0प0, राँची, दिनांक– 08-08-2023

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 8/8/2023
उप परामर्शी।